न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 25.08.2020

अपील संख्या 2020/00073

उनवान

1– अनिल पुत्र राजेन्द्र, आयु 30 साल, जाति कोली
2– कुसुमलता पुत्री प्रहलाद, आयु 38 साल, जाति कोली
3– चमेली पुत्री कल्याण, आयु 70 साल, जाति कोली
4– चमेली बाई पत्नी राजेन्द्र आयु 55 साल, जाति कोली
5– जानकी पुत्री कल्याण, आयु 50 साल, जाति कोली
6– देवीलाल पुत्र गणेश, आयु 50 साल, जाति कोली
7– दिनेश पुत्र राजेन्द्र, आयु 25 साल, जाति कोली
8– दीपक पुत्र राजेन्द्र आयु 23 साल, जाति कोली
9– नरोत्तम पुत्र प्रहलाद, आयु 40 साल, जाति कोली
10– नारायण पुत्र कल्याण, आयु 65 साल, जाति कोली
11– नीतू बाई पुत्री राजेन्द्र, आयु 27 साल, जाति कोली
12– पूजा पुत्री पुरूषोत्तम, आयु 22 साल, जाति कोली
13– बिशनी बाई पुत्री पुरूषोत्तम नाबालिग जरिये वली माता
14– भूली पुत्री पुरूषोत्तम, आयु 22 साल, जाति कोली
15– मूलचन्द पुत्र गणेश, आयु 42 साल, जाति कोली
16– महावीर पुत्र पुरूषोत्तम, आयु 18 साल, जाति कोली
17– मांगीबाई पत्नी स्वर्गीय प्रहलाद, आयु 70 साल, जाति कोली
18– माया पुत्री पुरूषोत्तम, आयु 20 साल, जाति कोली
19– रघुनाथ पुत्र गणेश, आयु 45 साल, जाति कोली
20– रामप्यारी बाई पत्नी पुरूषोत्तम, आयु 40 साल, जाति कोली
21– सुन्दर बाई पत्नी गणेश लाल, आयु 65 साल, जाति कोली
22– सूरजमल पुत्र कल्याण, आयु 60 साल, जाति कोली
23– घीसी बाई पत्नी जगन्नाथ, आयु 55 साल, जाति माली
24– चन्द्रकला पुत्री जगन्नाथ, आयु 50 साल, जाति माली
25– बद्रीबाई पत्नी स्वर्गीय जगन्नाथ, आयु 70 साल, जाति माली
26– सूरजमल पुत्र जगन्नाथ, आयु 46 साल, जाति माली
27– रूकमणी बाई पुत्री जगन्नाथ, आयु 49 साल, जाति माली
निवासीगण ग्राम चरडाना, तहसील अटरू, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– रामस्वरूप पुत्र स्वर्गीय बद्रीलाल
2– दुर्गाशंकर पुत्र बद्रीलाल
3– पूरणमल पुत्र बद्रीलाल
4– द्रोपती बाई पुत्री बद्रीलाल
5– तुलसी बाई पत्नी स्वर्गीय बद्रीलाल
6– नोतमल (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
6/1– राकेश पुत्र नोतमल नाबालिग जरिये वली बुआ द्रोपदी बाई
6/2– कुलदीप पुत्र नोतमल नाबालिग जरिये वली बुआ द्रोपदी बाई
7– मोतीबन चैला चन्दनबन गुसाई, निवासी छजावा जरिये वारिस रमेश (मृतक) जरिये कायम मुकामान –
7/1– विजय कुमार पुत्र रमेश, आयु 30 साल
7/2– भरत पुत्र रमेश, आयु साल
7/3– महेन्द्र पुत्र रमेश, आयु साल
7/4– किशन पुत्र रमेश, आयु साल
निवासीगण छजावा, तहसील अटरू, जिला बारां .... रेस्पोडेंट
8– तहसीलदार अटरू, जिला बारां

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 7 की ओर से शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक : 18.06.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या– 5/2018 निर्णय दिनांक 16.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 सी. पी. सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम चरडाना, तहसील अटरू में भूमि खसरा नं. 3 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 207 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 422 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 423 रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 424 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा कुल 5 किता कुल रकबा 95 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 16.03.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम चरडाना की खाता नं. 23 खसरा नं. 529 रकबा 0.86 हेक्टर, खसरा नं. 530 रकबा 2.80 हेक्टर आवंटियों का आवंटन निरस्त कर प्रार्थीगण रामस्वरूप, दुर्गाशंकर, पूरणमल, नोथमल, द्रोपती बाई, तुलसा बाई बेवा बद्रीलाल, जाति गुसाई, निवासीगण बगली के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आर्बीट्रेरी केप्रिसियस तथा परवर्स है तथा कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आवेदन धारा 144 सी. पी.सी. का रेस्पोडेंट रामस्वरूप व सरकार की ओर से पेश हुआ था उसमें हम अपीलांट विवादित सम्पत्ति में खातेदार होते हुए भी हमें जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया बल्कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट मोतबीन चेला चन्दनबन के वारिसान ने आपस में काल्यूजन करते हुए उपरोक्त आदेश पारित करवा लिया जबकि वर्ष 2018 विचारण न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय 16.03.2020 हम अपीलांट को पक्षकार को बनाये बिना पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ववर्ती राजस्व मण्डल की रोशनी में उपरोक्त निर्णय पारित किया है जबकि पूर्व में राजस्व मण्डल व अन्य न्यायालयों में इस सम्पत्ति के पक्ष में कार्यवाही हुई थी उसमें हम अपीलांट व हमारे कोई पूर्वज पक्षकार नहीं थे और हमें पूर्व प्रकरणों में तथा इस मौजूदा प्रकरण में कोई सुनवायी का मौका नहीं मिला है जबकि नियमानुसार हमें सुनवायी का मौका मिलना चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने हम अपीलांट का कोई नोटिस जारी करके सुनवायी का मौका नहीं दिया, अपितु मात्र एक ऐसे खातेदार को जिसकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है उसे पक्षकार मानते हुए निर्णय पारित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए तथा उपरोक्त भूमि वर्ष 1979 में अपीलांट के पूर्वजों को आवंटित हुई थी जिसका दखलनामा भी आवंटी कल्याण पुत्र घासी एवं अन्य को जारी किया गया था और उस पर आवंटी काबिज हुये तथा लम्बे समय से काबिज चले आ रहे हैं तथा नियमानुसार एक मर्तबा हुई आवंटित भूमि को जब तक कि ऐसी भूमि कपटपूर्व रूप से अथवा किसी अन्य कारण से आवंटित नहीं की गई तब तक मात्र कब्जे के आधार पर ऐसे आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता तथा हम अपीलांट को इस संबंध में सुनवायी का मौका नहीं दिया गया और ऐसी स्थिति में ऐसे निर्णय को प्रभावी नहीं रखा जा सकता। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा उपरोक्त सम्पत्ति जिसके अपीलांट खातेदार है उसके संबंध में आदेश पारित किया गया है इस प्रकार अपीलांट प्रभावित पक्षकार है जिन्हे पक्षकार बनाया जाकर अपील की सुनवायी की जावे इसके लिए अलग से धारा 96 सी. पी. सी. का आवेदन पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2020 निरस्त किया जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.07.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 7 द्वारा रेस्पोडेंट कम 8 लगायत 11 के पूर्वजों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें हम अपीलांट को उपरोक्त सम्पत्ति के खातेदार तथा प्रभावित पक्षकार होते हुए पक्षकार नहीं बनाया गया तथा उपरोक्त प्रकरण में हम खातेदार है तथा प्रभावित पक्षकार है इसलिए यह अपील पेश की जा रही है तथा हमें अपील में प्रभावित पक्षकार बनाते हुए अपील को ग्रहण कर विधिवत सुनवायी की जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2020 को जो निर्णय पारित किया गया उसके विरूद्ध अपील की गयी है। आराजी सीलिंग में अवाप्त होकर हमारे पूर्वजों को आंवटित हो गयी। रेस्पोडेंट के पिता ने उसे अपने खाते दर्ज करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए पत्रावली रिमाण्ड की जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है, जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं दस्तावेजों पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी में अपीलांट रिकार्डेड खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय में लिखा गया है कि आवंटी उक्त भूमि पर पूर्व में कभी काबिज नहीं रहे है। अतः आवंटियों का आवंटन निरस्त कर प्रार्थीगण रामस्वरूप, दुर्गाशंकर, पूरणमल नोथमल, द्रोपती बाई, तुलसा बाई बेवा बद्रीलाल निवासी बगली के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट्स के खाते की आराजी रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज कर दी गयी लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलांट्स को नहीं सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी में अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी भी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार कब्जे की स्वीकारोक्ति कर प्रार्थियों के पक्ष में निर्णय पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन किया है। यदि प्रार्थी/वादी किसी व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाये लेकिन वादपत्र के कथनों से न्यायालय को यह प्रतीत हो कि किसी अन्य व्यक्ति को सुनना आवश्यक है तो न्यायालय अपने स्वज्ञान से भी पक्षकार बनाने के आदेश दे सकता है। अपीलांट्स द्वारा विवादित आराजी के संबंध में दखलनामा, गांव के निवासी होना एवं अन्य साक्ष्य अपील में पेश किये है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2020 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी) 18/06/2024
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा